

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-12/वि0-150/2026 -1079

पटना, दिनांक:- 3.7.26

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अल्प वर्षापात के कारण राज्य के कुछ जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण-शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 1730 अदद नये चापाकलों (इण्डिया मार्क-II हैण्ड पंप के साथ) का निर्माण (प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोख्ता सहित) हेतु रु0 1448.64 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौसठ हजार) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अल्प वर्षापात के कारण राज्य के कुछ जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 1730 अदद नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इण्डिया मार्क-II) चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोख्ता सहित) हेतु रु0 1448.64 लाख (चौदह करोड़ अड़तालीस लाख चौसठ हजार) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय पत्रांक-820, दि0-26.05.2026 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र सं0-03/बजट-01-24/2026-70-आ0प्रा0, दिनांक-22.06.2026 के माध्यम से ₹1932.00 लाख (उनीस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया गया है (संलग्न-परिशिष्ट-I)।

इस योजना का बजट शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-01-सूखा, लघु शीर्ष-282-लोक स्वास्थ्य, उप शीर्ष-0002-जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मत, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245012820002 में विषय शीर्ष-27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है तथा प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गई है।

4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट-II पर संलग्न है।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

7. इस योजना को दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8. स्वीकृत योजना अन्तर्गत चापाकलों का निर्माण वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में किया जाएगा एवं निर्मित चापाकल का Geo Tag तथा समाजिक प्रमाण-पत्र का विभागीय MIS पर अपलोडिंग के पश्चात् ही कार्यपालक अभियंता द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3M2

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।
10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) तथा क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे।
11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
14. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
15. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
16. वर्ष 2026-27 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या-03/बजट-01-24/2026/70-आ0प्रा0, दिनांक-22.06.2026 द्वारा रू0 ₹1932.00 लाख (उनीस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी राशि से योजना पर व्यय किया जायेगा।
17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इस पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक-यथोपरि।

3Mn
03/07/2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

पटना, दिनांक-3.7.26

ज्ञापांक-12/वि0-150/2026-1079
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (अनु0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/कार्यवाहक सहायक-12/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

3Mn
03/07/2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में गरी, लू तथा आपदा की स्थिति तथा जिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजल हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों का निर्माण कार्य

Sl No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.860 Lakh		Construction of 125mmX45M deep Gravel Packed Tube well (G.P.T.) with IM-II Hand pump @ 0.89200 Lakh		Construction of 125mm/ 115mm X 60M deep Drilled Tube well (D.T.) with IM-II hand pump @ 1.03 Lakh		Construction of 40mmX26M deep Shallow hand pump @ 0.22100 Lakh		Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps	Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.081Lakh		Total Amount
			Physical (in Nos.)	Financial (Rs. in Lakhs)	Physical (in Nos.)	Financial (Rs. in Lakhs)	Physical (in Nos.)	Financial (Rs. in Lakhs)	Physical (in Nos.)	Financial (Rs. in Lakhs)			Physical (in Nos.)	Financial (Rs. in Lakhs)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sitamari	Sitamari	50	43	0	0	0	0	0	0	50	43.00	50	4.050	47.050
2	Darbhanga	Darbhanga	50	43	0	0	0	0	0	0	50	43.00	50	4.050	47.050
3	Bhagalpur	Bhagalpur East	10	8.6	20	17.84	20	20.6	0	0	50	47.04	50	4.050	51.090
4		Bhagalpur West	0	0	30	26.76	20	20.6	0	0	50	47.36	50	4.050	51.41
5	Banka	Banka	0	0	20	17.84	30	30.9	0	0	50	48.74	50	4.050	52.79
6		Barahat	0	0	20	17.84	30	30.9	0	0	50	48.74	50	4.050	52.79
7	Munger	Munger	80	68.8	40	35.68	30	30.9	0	0	150	135.38	150	12.150	147.53
8	Sheikhpura	Sheikhpura	0	0	30	26.76	20	20.6	0	0	50	47.36	50	4.050	51.41
9	Lakhisarai	Lakhisarai	45	38.7	30	26.76	0	0	0	0	75	65.46	75	6.075	71.535
10	Muzaffarpur	Muzaffarpur	50	43	0	0	0	0	0	0	50	43.00	50	4.050	47.05
11		Motipur	50	43	0	0	0	0	0	0	50	43.00	50	4.050	47.05
12	Vaishali	Hajipur	150	129	0	0	0	0	0	0	150	129.00	150	12.150	141.15
13	Sheohar	Sheohar	40	34.4	0	0	0	0	0	0	40	34.40	40	3.240	37.64
14	Siwan	Siwan	60	51.6	0	0	0	0	0	0	60	51.60	60	4.860	56.46
15	Gopalganj	Gopalganj	40	34.4	0	0	0	0	0	0	40	34.40	40	3.240	37.64
16	East Champaran	Motihari	40	34.4	0	0	0	0	0	0	40	34.40	40	3.240	37.64
17		Dhaka	40	34.4	0	0	0	0	0	0	40	34.40	40	3.240	37.64
18	West Champaran	Bettia	50	43	0	0	0	0	0	0	50	43.00	50	4.050	47.05

48

